न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 04 / 2016 / जैसलमेर

अपीलांट

1. सुखदर्शनसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह
2. रणजीतसिंह पुत्र श्री सज्जनसिंह
3. दिलीप कौर पत्नी श्री रणजीतसिंह जाति जट सिख सर्वे निवासी सक्सर पाल चक 3 एफ बी तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.श्रीमती हरकंवर पत्नी श्री डुंगरसिंह जाति राजपूत निवासी डेलासर तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर।
2.रिड़मलसिंह पुत्र श्री लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी केरालिया तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
3.अध्यक्ष, जैसलमेर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जैसलमेर।
4.सचिव, जैसलमेर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व मुकदमा संख्या 11 / 2010 बअनवान सुखदर्शनसिंह वगैरह बनाम हरकंवर वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री ए आर मेहर अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मुरलीधर जोशी रेस्पोडेंट संख्या 01,02 की ओर से ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 25.11.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वादी अंतर्गत धारा 88, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि ग्राम केरालिया में प्रतिवादी संख्या दो के नाम का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 39 रकबा 342.04 बीघा आया हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय ने बख्शीशनामा निरस्ती सिविल न्यायालय द्वारा निष्प्रभावी होने का क्षेत्राधिकार मानकर निर्णय पारित किया है जबकि वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बेदखली व स्थायी निशेधाज्ञा का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध प्रक्रिया को अपनाकर पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट के पक्ष में सन् 1983 में रजिस्टर्ड बैचान किया गया जिसकी पालना में नामांतकरण नहीं भरा गया तथा रिड़मलसिंह ने बहन हरकंवर के नाम बख्शीशनामा कर दिया जिसकी पालना में नामांतकरण भी हो गया। अपीलांट द्वारा दावे में बख्शीशनामा निरस्त करने की घोषणा नहीं चाही गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत के आधार पर न कर तकनीकी बिंदुओं पर करने से अपीलांट न्याय प्राप्त करने से वंचित रह गये है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया

RRT 2011(1) Page 237

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का हित निहित नहीं है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार रेस्पोडेंट है। रेस्पोडेंट के पक्ष में किया गया बख्शीशनामा खारिज करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। बख्शीशनामे का खारिज का दावा नहीं है तो तो प्रकरण को रिमाण्ड किया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं है। बख्शीशनामे के आधार पर आज भी में काबिज हूँ। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 39 रकबा 85.11 बीघा का रजिस्टर्ड बेचान प्रतिवादी संख्या दो रिड़मलसिंह ने वादीगण एक एवं प्रतिवादी संख्या दो व तीन के पुत्र जसवीरसिंह को दिनांक 03.06.1983 को किया गया। वादीगण के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड बेचान आज भी प्रभाव में है। प्रतिवादी संख्या दो द्वारा वादग्रस्त आराजी का रजिस्टर्ड बेचान करने के बाद दिनांक 03.10.2001 को बख्शीशनामा लिखकर वादग्रस्त आराजी का हंस्तांतरण करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है जिसमें दुरभावना की बूह आ रही है। वादीगण वादग्रस्त आराजी के सद्भावी क्रेता है तथा उनके द्वारा वादग्रस्त अराजी को लेकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गये वाद को तकनीकी बिंदुओं पर निस्तारण करने से वादीगण के हितों पर कुठाराघात होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण क्षेत्राधिकार के बिंदु पर किया गया है जबकि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या दो द्वारा वादग्रस्त आराजी का रजिस्टर्ड बेचान के बाद बख्शीशनामा संपादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

किया गया है। वादीगण सदभावी क्रेता होने से अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार रखता है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व मुकदमा संख्या 11/2010 बअनवान सुखदर्शनसिंह वगैरह बनाम हरकंवर वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2016 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थिया के द्वारा प्रस्तुत वाद में संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर बाद समुचित सुनवाई अधिकतम चार माह में विधिक प्रावधानों के अनुसार दावे का गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.12.2019 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। इससे पूर्व अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

25/11/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/11/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner